आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
6/1/2015	**सारण समाहरणालय, छपरा।** **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा** **जिला विधि प्रशाखा** **आपूर्त्ति अपील संख्या 119/11** **चन्द्रशेखर सिंह बनाम बिहार सरकार (अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर) एवं अन्य** **आदेश** संदर्भित अपील आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर के आदेश ज्ञापांक 1040/आपूर्त्ति दिनांक 22.11.11 के विरूद्ध दायर किया गया है। दायर अपील वाद की सुनवाई की गयी। वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 25.10.11 को पंचायतवार गठित जॉच दल के द्वारा चन्द्रशेखर सिंह, जन वितरण प्रणाली विकेता, पंचायत–बारवे, प्रखंड–दरियापुर की दूकान की जॉच की गयी। जॉच के कम में विकेता की दूकान बंद पायी गयी। सूचनापट्ट पर तेल उठाव हेतु जाने की सूचना अंकित थी। जिसके लिए अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर के ज्ञापांक 892/आपूर्त्ति दिनांक 11.11.11 के द्वारा विकेता से स्पष्टीकरण की मॉग की गयी। विकेता के द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण को असंतोषजनक पाते हुए विकेता की अनु[illegible] को रद्द कर दिया गया। अनुज्ञप्ति रद्द करने संबंधी प्रश्नगत आदेश को चुनौती देते हुए उपस्थित अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बतलाया गया कि विकेता का पैर दिनांक 18.9.11 को टूट गया था, जिस पर प्लास्टर चढ़ाने हेतु दिनांक 25.10.11 को वे हाजीपुर गए हु[illegible] इसलिए उनकी दूकान बंद थी। विकेता के द्वारा अपने जवाब के साथ दिनांक 18.9.11 ए[illegible]	

25.10.11 के चिकित्सक की पर्ची की प्रति संलग्न की गयी है, जिसका अवलोकन अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा नहीं किया गया। एक अन्य मामले में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा आदेश पारित किया गया था कि केवल दूकान बंद रहने की स्थिति में विक्रेता की अनुज्ञप्ति को रद्द करने जैसी सजा देना विधि–सम्मत् नहीं है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द को पुनर्जीवित करने का अनुरोध किया गया।

सरकार का पक्ष रखते हुए विज्ञ विशेष लोक अभियोजक के द्वारा बतलाया गया कि विक्रेता पर जो आरोप लगाया गया है, वह अनुज्ञप्ति की शर्त्तों, विभागीय दिशा–निर्देशों के उल्लंघन का परिचायक है।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख में रक्षित कागजातों का परिसीलन किया गया। परिसीलनोपरान्त मैं यह पाता हूँ कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा पारित आदेश अपने आप में मुखर आदेश नहीं है। अनुज्ञापन पदाधिकारी के लिए यह उचित था कि विक्रेता की दूकान से संबंधित कागजात एवं पंजी मँगवाकर उसकी समुचित जॉच की जाती एवं यदि जॉच के क्रम में कोई अनियमितता पायी जाती, तो किसी प्रकार की कार्रवाई की जाती, लेकिन उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। विक्रेता के विरूद्व कोई गंभीर आरोप अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा अपने कारणपृच्छा में या अपने आदेश में अंकित नहीं किया गया है और न ही विक्रेता से सम्बद्व किसी उपभोक्ता के द्वारा विक्रेता के विरूद्व किसी प्रकार की शिकायत ही की गयी है। अतः अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को निरस्त करते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा	जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा

ज्ञापांक 03मु॰ दिनांक 13/1/2015

प्रतिलिपि– SDO सोनपुर / DSO, NSC, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

वरीय उप समाहर्त्ता
प्र॰ जिला विधि शाखा
सारण, छपरा